

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-५१प्रा०स०-१९ /२०१८- ६२२३ वि०स०।

(२३)

प्रेषक,

पूनम सिन्हा,
अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना।

सेवा में,

०१ JAN 2018

०४ (२०१८)

२० नियोगीया०

K

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, गना उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक-३/ दिसम्बर, 2018 ई०।

विषय:-

बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति की अध्ययन दल-२ की दिनांक-०२.०१.२०१९ से

०९.०१.२०१९ तक राज्य के अन्दर बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में

स्थल अध्ययन यात्रा के संबंध में।

महोदय,

२.१.१९

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति की अध्ययन दल २

दिनांक-०२.०१.२०१९ से ०९.०१.२०१९ तक राज्य के अन्दर बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों

की संलग्न कार्यक्रमानुसार स्थल अध्ययन यात्रा करेगी। अध्ययन दल-२ में माननीय सभापति सहित कुल १३

(तेरह) माननीय सदस्य एवं सभा सचिवालय के तीन पदाधिकारी / कर्मचारी यात्रा में भाग लेंगे। उन्न यात्रा के

दौरान सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था करने एवं संलग्न मूल प्रश्नावली / एजेंडा पर अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन के

साथ सभी स्थानीय पदाधिकारीगण को उपस्थित रहने एवं स्थल अध्ययन यात्रा में सहयोग प्रदान करने के लिए अपने

स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय।

अतः अनुरोध है कि स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान मुख्यालय से एक सक्षम पदाधिकारी को समिति

के साथ प्रतिनियुक्त करने तथा उपर्युक्त स्थल अध्ययन यात्रा के संबंध में ली गई कार्रवाई से सभा सचिवालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
५/१८/३/१२/१८
(पूनम सिन्हा)

अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-५१प्रा०स०-१९/२०१८- ६२२३ विंस०, पटना, दिनांक- ३१ दिसम्बर, २०१८ ई०।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया एवं सहरसा को स्थल अध्ययन यात्रा कार्यक्रम की प्रति एवं संलग्न प्रश्नावली / एजेण्डा की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपसे अनुरोध है कि स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान संलग्न कार्यक्रमानुसार समिति के माननीय सदस्यों, पदाधिकारी / कर्मचारी सहित कुल-१६ (सोलह) व्यक्तियों के लिए परिसदन में नगद भुगतान के आधार पर आवासन एवं भोजन की व्यवस्था करने तथा संबंधित पदाधिकारियों को संलग्न प्रश्नावली / एजेण्डा के अनुसार अद्यतन प्रतिवेदन १५-१५ प्रतियों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश देने की कृपा की जाय।

५/१८/३/१२/१८

अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-५१प्रा०स०-१९/२०१८- ६२२३ विंस०, पटना, दिनांक- ३१ दिसम्बर, २०१८ ई०।

प्रतिलिपि:- वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना, आरक्षी अधीक्षक, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों को स्थल अध्ययन यात्रा कार्यक्रम की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान समिति की समुचित सुरक्षा / प्रकार्त की व्यवस्था (गाड़ी सहित) सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

५/१८/३/१२/१८

अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना।

पूर्णिया
३१/१२/१८

शाप्र० : ५१प्रा०विध०-२२/१८ - १५ - दिन २१/१२/२०१९

प्रधानमंत्री ने जीवन विधि विभागीय / रेगिस्ट्रेशन / नियमों

प्र०/ सहरसा / लिङ्गपुरी एवं अयोध्या विधिविभागीय नियमों

को (विधान सभा के बैठक में अप्रूप ढंग से) अप्रूप ढंग से अप्रूप ढंग से अप्रूप ढंग से

रखा गया विधिविभागीय नियमों को अप्रूप ढंग से अप्रूप ढंग से अप्रूप ढंग से अप्रूप ढंग से

प्र०/ अप्रूप ढंग से अप्रूप ढंग से

अप्रूप ढंग से अप्रूप ढंग से

अप्रूप ढंग से अप्रूप ढंग से